न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 117/20 निर्णय दिनांकः–21-11-2022
(जीसीएमएस संख्या 2020/00174)

1. आसी पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी गांव भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी गांव भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. श्रवणराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी गांव भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. पुष्पा पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी गांव भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19–04–2006
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 19–04–2006 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को 42 बीघा बारानी भूमि आवंटन का पात्र धोषित किया गया परन्तु आवंटन नहीं किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को 42 बीघा बारानी भूमि के आवंटन का पात्र धोषित करते हुए पत्रावली आवंटन सहालकार समिति के समक्ष आवंटन करने हेतु पेश करने के आदेश दिनांक 19–04–2006 को जारी करने के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 18–11–2020 अर्थात करीब 14 वर्ष तक अपीलांट्स के पति/पिता की पत्रावली पर आवंटन संबंधी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से साबित है कि वे अपने कार्य के प्रति उदासीन रहे है। जिसका खामियाजा अपीलांट्स के पति/पिता को व अपीलांट्स को भुगतना पड़ा है। इसमें अपीलांट्स का कोई दोष नहीं है। अपीलांट्स एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट्स आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर भूमि दी जावे। अदालत मातहत को अपीलांट्स के पति/पिता के आवंटन प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, परन्तु अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया ना ही अपीलांट्स के पति/पिता के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार के आवंटन की कार्यवाही आज दिनांक तक की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट्स को उसकी पात्रता अनुसार भूमि आवंटित की कार्यवाही की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–04–2006 के विरूद्व अपील दिनांक 18–11–20 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट्स के पति/पिता के प्रार्थना पत्र पर आवंटन का पात्र धोषित किये जाने के उपरान्त आवंटन की कार्यवाही किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–04–2006 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 18–11–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–04–2006 को अपीलांट्स के पति/पिता को 42 बीघा बारानी भूमि आवंटन का पात्र धोषित करते हुए पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन हेतु पेश करने के आदेश प्रदान किये गये है। चूंकि प्रस्तुत पत्रावली में अदालत मातहत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता के प्रार्थना पत्र आवंटन संबंधी कार्यवाही किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील असामयिक (premature) है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से न्यायालय हाजा से किसी प्रकार से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–04–2006 सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21-11-2022 को लिखाया सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर